

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 24/2021

अपीलांट्स -

1. हेमाराम पुत्र सरदाराराम
2. रायचन्द्रराम पुत्र सरदाराराम
3. परमानराम पुत्र सरदाराराम
4. रेखोदेवी पत्नी सरदाराराम
5. जगदीश पुत्र हुकमाराम
6. सुरेश कुमार पुत्र हुकमाराम
7. सम्पत कुमार पुत्र हुकमाराम
8. समदादेवी पत्नी हुकमाराम
9. देराजराम पुत्र गुमानाराम  
जातियान गुरुड़ा निवासी  
नेनवा, शिवकर तहसील व  
जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स-

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. मूलाराम पुत्र गुमानाराम फौत के  
विधिक वारिसान
- 2.1 पताराम पुत्र मूलाराम फौत के  
विधिक वारिसान
- 2.1.1 भूराराम पुत्र पताराम
- 2.1.2 मगाराम पुत्र पताराम
- 2.1.3 सुन्दर पुत्री पताराम
- 2.1.4 खेतू पुत्री पताराम
- 2.1.5 खातूदेवी पत्नी पताराम
- 2.2 लूणाराम पुत्र मूलाराम  
जातियान गुरुड़ा निवासियान  
नेनवा, शिवकर तहसील व जिला  
बाड़मेर
3. सुआदेवी पत्नी जेताराम जाति  
मेघवाल निवासी सरली तहसील व  
जिला बाड़मेर



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
विरुद्ध आदेश क्रमांक 1019 दिनांक 30.05.2018 जो तहसीलदार  
बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

राजस्व अपील सं. 25/2021

अपीलांट्स -

1. हेमाराम पुत्र सरदाराराम
2. रायचन्द्रराम पुत्र सरदाराराम
3. परमानराम पुत्र सरदाराराम
4. रेखोदेवी पत्नी सरदाराराम
5. जगदीश पुत्र हुकमाराम
6. सुरेश कुमार पुत्र हुकमाराम
7. सम्पत कुमार पुत्र हुकमाराम

बनाम

रेस्पोडेंट्स-

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. मूलाराम पुत्र गुमानाराम फौत के  
विधिक वारिसान
- 2.1 पताराम पुत्र मूलाराम फौत के  
विधिक वारिसान
- 2.1.1 भूराराम पुत्र पताराम
- 2.1.2 मगाराम पुत्र पताराम



10/11  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

8. समदादेवी पत्नी हुकमाराम
9. देराजराम पुत्र गुमानाराम  
जातियान गुरुड़ा निवासी  
नेनवा, शिवकर तहसील व  
जिला बाड़मेर
- 2.1.3 सुन्दर पुत्री पताराम
- 2.1.4 खेतू पुत्री पताराम
- 2.1.5 खातूदेवी पत्नी पताराम
- 2.2 लूणाराम पुत्र मूलाराम  
जातियान गुरुड़ा निवासियान  
नेनवा, शिवकर तहसील व जिला  
बाड़मेर
3. सुआदेवी पत्नी जेताराम जाति  
मेघवाल निवासी सरली तहसील व  
जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश क्रमांक 5814 दिनांक 30.07.2018 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।


उपस्थिति :- उपरोक्त दोनों अपीलों में -

1. श्री सुनील मेराजा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री केसराराम बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 3 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोंडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

### निर्णय

दिनांक : 21.12.2022

1. उपरोक्त दोनों ही प्रकरणों में समान पक्षकार एवं समान विषय-वस्तु निहित होने से एक ही संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारित किये जा रहे हैं। निर्णय की एक-एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।
2. प्रस्तुत अपीलों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा महाबार के खेत खसरा संख्या 245 व 246 रकबा 0-04 बीघा एवं 62-04 बीघा कुल रकबा 62-08 बीघा भूमि खातेदार रायचन्द्रराम हेमाराम पमानराम पि0 सरदारा रेखोंदेवी पत्नी सरदारा 4/15 हि0 जगदीश सुरेश कुमार सम्पत कुमार पि0 हुकमाराम

  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

समदादेवी पत्नी हुकमाराम 1/15 हि0 मूला वल्द गुमना 19/60 देराज वल्द गुमना 1/3 हि0 कौम गुरुड़ा सा0 देह एवं संत मोहनराम वल्द पूसाराम 1/60 हि0 कौम मेगवाल सा0 रूपासर (ताऊसर) तहसील व जिला नागौर के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने दिनांक 30.05.2018 को आपसी सहमति एवं बाहामी बंटवाडे तथा कब्जा-काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। खातेदारान की पहचान हलका पटवारी महाबार द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उक्त खातेदारान के नाम संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम महाबार पटवार क्षेत्र महाबार मे खसरा नंबर 245, 246 रकबा क्रमशः 0-04, 62-04 बीघा किस्म गै0मु0 ढाणी, बारानी दोयम कुल रकबा 62-08 बीघा लगान 3.73 रू0 आई हुई है। मौके के कब्जा-काश्त के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। लगान का पुनः विभाजन सही किया गया है। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा आदेश क्रमांक 1019 दिनांक 30.05.2018 द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 05.06.2018 को रेस्पोंडेंट संख्या 2 मूला पुत्र गुमना गुरुड़ा निवासी महाबार द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन विभाजन को निरस्त करने का निवेदन किया। उक्त पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 05.06.2018 पारित कर पूर्व में पारित विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 30.05.2018 निरस्त कर दिया गया। इस विभाजन निरस्ती आदेश के विरुद्ध अपीलाट्स द्वारा अपील संख्या 24/2021 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.06.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त अपील अन्दर मयाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है। पक्षकारान द्वारा पूर्व विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त कराये जाने के पश्चात पुनः दिनांक 30.07.2018 को सहमति विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकृति



Low  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

आदेश क्रमांक 5814 दिनांक 30.07.2018 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरुद्ध अपीलाट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष 29.06.2021 को प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त अपील अन्दर मयाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है।

3. अपीलाट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलों में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब किया गया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलाट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 3 द्वारा परस्पर सहमति से मौजा महाबार, पटवार हलका महाबार तहसील बाड़मेर के खसरा नंबर 245 रकबा 0-04 बीघा व खसरा नंबर 246 रकबा 62-04 बीघा कुल रकबा 62-08 बीघा लगान 3.73 रुपये के संदर्भ में बंटवारे पर पारित आदेश क्रमांक 1019 दिनांक 30.05.2018 को मात्र रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.06.2018 पर पुनरावलोकन कर एक ही दिन में आदेश दिनांक 05.06.2018 द्वारा पारित कर पक्षकारान के मध्य सहमति से पूर्व में स्वीकृत विभाजन आदेश दिनांक 30.05.2018 को निरस्त कर दिया है, जो विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। जबकि पूर्व में मौके के कब्जा-काश्त के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। अधिवक्ता अपीलाट्स ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों एवं विधि की भूल की है। रेस्पोंडेंट संख्या 2 मूलाराम द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना-पत्र को बिना दर्ज किये एवं बिना पक्षकारों को सूचित किये एक ही



*ksw*  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

दिन में दिनांक 30.05.2018 के स्वीकृति विभाजन आदेश को धारा 86 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देकर खारिज किया है। उक्त आदेश की अपीलांट्स को कोई सूचना नहीं दी गई। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा एकपक्षीय एवं मनमाने तरीके से पुनरीक्षण की शक्तियों का उपयोग बिना मौके की भौतिक जांच रिपोर्ट तलब किये किया गया है। उक्त अपीलाधीन पुनरीक्षण आदेश न तो अपीलाधीन बंटवाडा आदेश में किसी स्पष्ट तथ्य की त्रुटि सुधार के लिए किया है अथवा न ही किसी विधि या नियम की अनदेखी को दुरुस्त करने के लिए किया गया है। लिहाजा अपीलाधीन पुनरीक्षण आदेश निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपील संख्या 25/2021 में यह निवेदन किया गया कि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पूर्व के स्वीकृत विभाजन को एकपक्षीय पुनरावलोकन प्रार्थना-पत्र द्वारा खारिज करने के पश्चात विवादित खेत खसरा संख्या 245 व 246 रकबा 0-04 बीघा एवं 62-04 बीघा कुल रकबा 62-08 बीघा भूमि के खातेदारान द्वारा दिनांक 30.07.2018 को पुनः आपसी सहमति एवं बाहामी बंटवाडे तथा कब्जा-काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। खातेदारान की पहचान हलका पटवारी महाबार द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा तस्दीक करने का आदेश क्रमांक 5814 दिनांक 30.07.2018 पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन बंटवाडा आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी कानूनी एवं विधिक तथ्यों की भूल की है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पूर्व में तस्दीक किया गया सहमति विभाजन आदेश क्रमांक 1019 दिनांक 30.05.2018 प्रत्येक पक्षकार को स्वीकार्य था, किन्तु रेस्पोंडेंट संख्या 2 मूलाराम द्वारा आपसी सांठ-गांठ से उक्त बंटवाडा आदेश अपीलाधीन पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.06.2018 को एकपक्षीय रूप से खारिज करवा दिया गया। तत्पश्चात मुख्य सड़क के पास की भूमि की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से




*Ln*  
जिला कलकटर  
बाड़मेर

लालचग्रस्त होकर पुनः दिनांक 30.07.2018 को नया सहमति विभाजन प्रस्ताव तैयार प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार बाड़मेर ने अपीलाधीन आदेश क्रमांक 5814 दिनांक 30.07.2018 द्वारा तस्दीक करवा दिया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश मौके पर कब्जा-काश्त एवं रास्ते अनुसार नहीं होने से जो निरस्त करने योग्य है। लिहाजा अपीलाधीन विभाजन आदेश निरस्त फरमाया जाकर सम्पूर्ण आराजी में अपीलांट्स के कब्जे-काश्त एवं भूमि की कीमत के आधार पर सड़क पर बराबर-बराबर कृषि जोत का बंटवाडा करने का आदेश फरमाया जावे।

6. अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन पुनरावलोकन आदेश एकपक्षीय जारी किया गया है एवं अपीलांट्स को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई। अरसा 25 दिन पूर्व जब रेस्पोंडेंट संख्या 2 के वारिसान अपीलांट्स के कब्जे की भूमि में हस्तक्षेप करने लगे तथा अपीलांट्स को तरमीम होने के तथ्य बताये। इस पर दिनांक 11.06.2021 को राजस्व रेकर्ड दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने पर ही उन्हें अपीलाधीन पुनरीक्षण आदेश की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हुई। जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया है।



अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स ने निवेदन किया कि पक्षकारान द्वारा सर्वप्रथम जो विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था वह मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति अनुसार नहीं था। इस पर सभी पक्षकारों ने सहमत होकर रेस्पोंडेंट संख्या 2 को पुनरावलोकन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु मुकर्रर किया गया। इस पर रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर आदेश दिनांक 05.

  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

06.2018 द्वारा विभाजन निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात पक्षकारान द्वारा पुनः सहमत होकर नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव मौके की भौतिक स्थिति अनुसार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2018 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए एवं बंटवाडा स्वीकार करने का निवेदन किया। नये सिरे से तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर हलका पटवारी द्वारा स्पष्ट टिप्पणी की गई कि मौके के कब्जा-काश्त अनुरूप विभाजन तैयार किया गया है, लगान का विभाजन सही है। इस प्रकार हलका पटवारी की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नये सिरे से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को आदेश क्रमांक 5814 दिनांक 30.07.2018 द्वारा स्वीकृत कर दिया है। उक्त अपीलाधीन दोनों की आदेश अपीलाट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 3 की सर्वोत्तम जानकारी एवं स्वतंत्र सहमति से पारित हुए हैं। अपीलाट्स द्वारा अपीलाधीन आदेशों के विरुद्ध यह दोनों अपीलें मयाद बाहर एवं सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत की गई हैं जो खारिज योग्य है।

8. हमने अधिवक्ता अपीलाट्स एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 3 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि मौजा महाबार के खेत खसरा संख्या 245 व 246 रकबा 0-04 बीघा एवं 62-04 बीघा कुल रकबा 62-08 बीघा भूमि के खातेदार रायचन्द्रराम हेमाराम पमानराम पि० सरदारा रेखोंदेवी पत्नी सरदारा 4/15 हि० जगदीश सुरेश कुमार सम्पत कुमार पि० हुकमाराम समदादेवी पत्नी हुकमाराम 1/15 हि० मूला वल्द गुमना 19/60 देराज वल्द गुमना 1/3 हि० कौम गुरुड़ा सा० देह एवं संत मोहनराम वल्द पूसाराम 1/60 हि० कौम मेगवाल सा० रूपासर (ताऊसर) तहसील व जिला नागौर के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने दिनांक 30.05.2018 को आपसी सहमति एवं बाहामी बंटवाडे तथा कब्जा-काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर हलका पटवारी की पहचान एवं रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपने



*Leh*  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

आदेश क्रमांक 1019 दिनांक 30.05.2018 द्वारा विभाजन स्वीकार कर लिया गया है। इसके पश्चात खातेदार मूला द्वारा रिव्यू प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय ही आदेश पारित कर उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को निरस्त कर दिया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि उक्त पुनरावलोकन प्रार्थना-पत्र पर उनको कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे उन्हें इस आदेश की जानकारी नहीं हुई तथा एकपक्षीय आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से मयाद लागू नहीं होती है। इसके विपरीत अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स ने प्रकट किया कि उक्त पुनरावलोकन प्रार्थना-पत्र एवं उस पर पारित आदेश की अपीलांट्स को जानकारी प्रारम्भ से ही थी क्योंकि पुनरावलोकन प्रार्थना-पत्र द्वारा पूर्व के विभाजन स्वीकृति आदेश को निरस्त कराने के पश्चात पुनः सभी पक्षकाराने सहमति से नया विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2018 द्वारा स्वीकृत किया गया। इस प्रकार प्रकरण में मयाद एवं मैरिट दोनों ही कमजोर होने से अपीलांट्स की अपीलें खारिज योग्य हैं। उभय पक्ष की ओर से प्रकट तथ्यों से प्रकट होता है कि दिनांक 30.05.2018 को सहमति से किये गये बंटवाड़े को तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मूलाराम के प्रार्थना-पत्र पर धारा 86 में रिव्यू कर निरस्त किया गया। यह सही है कि सभी पक्षकारों ने मिलकर आवेदन नहीं किया, परन्तु दिनांक 30.07.2018 को पुनः सहमति से बंटवाड़ा किया गया है जिससे यह साबित है कि सभी पक्षकार को दिनांक 30.05.2018 के सहमति विभाजन को तहसीलदार द्वारा निरस्त करने की जानकारी थी, इस पर किसी ने भी आपत्ति नहीं की जिससे यह साबित हो रहा है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं थी एवं सभी की सहमति दिनांक 30.05.2018 के बंटवाड़े को निरस्त करने में थी। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें मयाद एवं मैरिट पर खारिज योग्य हैं।



*Kon*  
जिला कलकट  
बाड़मेर

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह दोनों अपीलें मयाद बाहर होने एवं मैरिट दुर्बल होने से खारिज की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2018 एवं दिनांक 30.07.2018 को यथावत रखा जाता है।



10. निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( लोक बंधु )  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
**जिला कलक्टर**  
**बाड़मेर**